न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2025
प्रविष्टि दिनांक 03.03.2025

सुखलाल पुत्र मंशा जाति गुर्जर निवासी ग्राम उथरणा चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज.

.....अपीलांट

बनाम

तहसीलदार देवली, जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार देवली दिनांक 14.07.2023
पत्रावली सं. 13/2023

उपस्थिति : (1) श्री जोधराज गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22/5/25

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2023 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 832/731 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर किस्म भूमि शमशान व सिवायचक वाके ग्राम उथरणा चांदली तहसील देवली पर जोत व तारबंदी कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, निर्धारित लगान 1.25 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 63 रू. जमा कराने, फसल कब्जे राज लेने तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार देवली के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पटवारी हलका के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये और स्वविवेक से ही उक्त भूमि पर बिना पटवारी हलका द्वारा मौके पर कब्जा साबित नहीं करने के बावजूद भी अपीलान्ट का कब्जा मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट को चार सजाएं क्रमशः बेदखल करने, फसल कब्जे राज लेने, पेनल्टी आरोपित करने तथा सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाएं एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जिससे अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 14.07.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 832/731 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 692 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर किस्म भूमि शमशान व सिवायचक वाके ग्राम उथरणा चांदली तहसील देवली पर जोत व तारबंदी कर अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय की मिसल संख्या 463/2019 दिनांक 01.10.2019 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था। अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु तहसीलदार देवली से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार देवली ने मौका रिपोर्ट पत्र कमांक 271 दिनांक 02.05.2025 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया हैं कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कब्जा काश्त नहीं किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली के निर्णय दिनांक 14.07.2023 के जरिये की गई दोष सिद्धी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है। अपीलांट को हिदायत दी जाती हैं कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
अति.जिला कलक्टर,
टोंक